



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपा/जोन-5/2022/डी- 6272

दिनांक:- 22-12-22

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	ऑन लाईन आवेदन सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल (वर्ग गज में)	गृ. नि. स. स. / निजी खातेदारी/जविप्रा की योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	—	श्रीमती चंचल देवी पत्नी श्री नरेश कुमार	श्रीमती मनोहर देवी पत्नी श्री राम नारायण	727	200.00	श्री छत्रपति शिवाजी	देवी नगर	फी होल्ड पट्टा विलेख	मूल दस्तावेज गुम होने बाबत
2.	—	श्री प्रकाश चन्द बालोदिया पुत्र श्री छोटे लाल	श्री प्रकाश चन्द कुमावत पुत्र श्री छाटी लाल	273	227.5	अपोलो नगर	रामनगर विस्तार	नियमन एवं पट्टा विलेख	नाम की भिन्नता
3.	—	श्रीमती रश्मि सिंह पत्नी स्व. श्री देवी सिंह एवं श्री आदर्श आनन्द सिंह पुत्र श्री देवी सिंह	श्री राजकुमार वर्मा पुत्र श्री मोहन लाल	494	213.88	श्री छत्रपति शिवाजी	देवी नगर	नाम हस्तान्तरण एवं फी होल्ड पट्टा विलेख	मृत्यु प्रमाण पत्र
4.	—	श्रीमती मंजू कनवाड़िया पत्नी श्री हरीश कुमार कनवाड़िया	श्री सम्पत लाल डागा पुत्र स्व. श्री अर्जुन लाल डागा	66	152.77	श्री महाराजा गोपालपुरा	प्रेम नगर- प्रथम	नियमन एवं पट्टा विलेख	मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वसीयतनामा
5.	122991	श्री सत्य निलेश अग्रवाल पुत्र श्री निलेश विश्वनाथ अग्रवाल	श्री विश्वनाथ एम अग्रवाल पुत्र श्री मालीराम अग्रवाल	695	180.55	खुदाबादी सोनार	विवेक विहार	नाम हस्तान्तरण एवं फी होल्ड पट्टा विलेख	मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वसीयतनामा
6.	121718	श्री रमेश चन्द बंशीवाल पुत्र श्री सोहन लाल बंशीवाल	श्री नरेन्द्र टिक्कीवाल पुत्र श्री चन्दा लाल टिक्कीवाल	511	200.28	पथिक भवन	सूर्य नगर	नाम हस्तान्तरण एवं फी होल्ड	मृत्यु प्रमाण पत्र एवं हक त्याग पत्र

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - {+91-141-2563234} : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : {8250} : फैक्स - +91-141-2574555





जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

								पट्टा विलेख	
7.	—	श्रीमती मधु शर्मा पत्नी श्री गणेश प्रसाद शर्मा	श्री जेठा मल डागा पुत्र श्री सम्पत मल	68	400.00	श्री महाराजा गोपालपुरा	प्रेम नगर-1	नियमन एवं पट्टा विलेख	अपंजीकृत दस्तावेज
8.	—	श्रीमती प्रेम देवी पत्नी श्री दामोदर शर्मा	श्री शंकर लाल शर्मा पुत्र श्री महेश चन्द	172	200.00	श्री महाराजा गोपालपुरा	प्रेम नगर-1	नियमन एवं पट्टा विलेख	अपंजीकृत दस्तावेज
9.	—	श्री हरिनारायण गुप्ता पुत्र श्री बजरंग लाल	श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री नन्दलाल	139	224.58	पथिक भवन	सूर्य नगर	नियमन एवं पट्टा विलेख	अपंजीकृत दस्तावेज
10.	—	श्री शिवदान भीना पुत्र श्री भूरा राम भीना	श्री रामपाल पुत्र श्री चौध मल	3 व 4	313.90	हथरोई गढ़ी	प्रताप नगर	नियमन एवं पट्टा विलेख	अपंजीकृत दस्तावेज


उपायुक्त जोन-5

प्रतिलिपि:-

1. जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन हेतु प्रेषित है।


उपायुक्त जोन-5

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - {+91-141-2563234} : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : {8250} : फैक्स - +91-141-2574555



कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जौन-11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

कमांक:-जविप्रा/उपा/जौन-11/90क /2022/डी- 3546

दिनांक 21/12/22

सार्वजनिक विज्ञापित

सार्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि खातेदार श्रीमती कुन्ती देवी धर्मपत्नी श्री रुडमल गुप्ता जाति महाजन निवासी-ग्राम महला, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर द्वारा ग्राम महला तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर में कृषि भूमि खसरा नम्बर 939 रकबा 0.15 हैक्ट. ख.नं. 940 रकबा 0.33 हैक्ट. में से रकबा 0.09 हैक्ट. ख.नं. 941 रकबा 0.23 हैक्ट. में से रकबा 0.13 हैक्ट. ख.नं. 944 रकबा 0.11 हैक्ट. में से रकबा 0.03 हैक्ट. ख.नं. 947 रकबा 0.10 हैक्ट. में से रकबा 0.04 हैक्ट. ख.नं. 948 रकबा 0.13 हैक्ट. में से रकबा 0.07 हैक्ट. कुल किता 6 कुल रकबा 0.51 हैक्ट. में आवासीय (मुख्यमंत्री जन आवास) हेतु जौन 90क को पुनः अकृषि से कृषि प्रयोजनार्थ किये जाने हेतु जौन कार्यालय में आवेदन किया गया है।

ग्राम महला तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर में कृषि भूमि खसरा नम्बर 939 रकबा 0.15 हैक्ट. ख.नं. 940 रकबा 0.33 हैक्ट. में से रकबा 0.09 हैक्ट. ख.नं. 941 रकबा 0.23 हैक्ट. में से रकबा 0.13 हैक्ट. ख.नं. 944 रकबा 0.11 हैक्ट. में से रकबा 0.03 हैक्ट. ख.नं. 947 रकबा 0.10 हैक्ट. में से रकबा 0.04 हैक्ट. ख.नं. 948 रकबा 0.13 हैक्ट. में से रकबा 0.07 हैक्ट. कुल किता 6 कुल रकबा 0.51 हैक्ट. भूमि का आवासीय (मुख्यमंत्री जन आवास) प्रयोजनार्थ राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क के अन्तर्गत निर्णय दिनांक 23.08.2017 को पारित किया गया था। प्रकरण में 90ख की कार्यवाही किये हुये 1 वर्ष से ज्यादा का समय व्यतीत हो चुका है। अतः प्रकरण में जविप्रा, जयपुर की बी.पी.सी.(एल.पी.) की 297वीं बैठक दिनांक 15.3.2021 के नीतिगत निर्णय की अनुपालना में सार्वजनिक लोक सूचना का प्रकाशन किया जा रहा है।

अतः ग्राम महला तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर में कृषि भूमि खसरा नम्बर 939 रकबा 0.15 हैक्ट. ख.नं. 940 रकबा 0.33 हैक्ट. में से रकबा 0.09 हैक्ट. ख.नं. 941 रकबा 0.23 हैक्ट. में से रकबा 0.13 हैक्ट. ख.नं. 944 रकबा 0.11 हैक्ट. में से रकबा 0.03 हैक्ट. ख.नं. 947 रकबा 0.10 हैक्ट. में से रकबा 0.04 हैक्ट. ख.नं. 948 रकबा 0.13 हैक्ट. में से रकबा 0.07 हैक्ट. कुल किता 6 कुल रकबा 0.51 हैक्ट. भूमि को आवासीय (मुख्यमंत्री जन आवास) प्रयोजनार्थ जारी निर्णय को निरस्त कर पुनः अकृषि से कृषि भूमि किये जाने के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञापित प्रकाशन के 7 दिवस में अपनी लिखित आपत्ति इस कार्यालय में प्रस्तुत करें, अन्यथा प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 21/12/22 को जारी की गयी।

30

प्राधिकृत अधिकारी (जौन-11)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रतिनिधि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सार्वजनिक लोक सूचना का राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में आठ की फोन्ट साईट में प्रकाशित करवाकर समाचार पत्र की एक प्रति कार्यालय को उपलब्ध करावें।
2. श्रीमती कुन्ती देवी धर्मपत्नी श्री रुडमल गुप्ता जाति महाजन निवासी-ग्राम महला, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

प्राधिकृत अधिकारी (जौन-11)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

आम सूचना

निम्न आवेदन द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.स.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजडीडधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड का क्षेत्रफल व.ग.	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी योजना/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके के लिए आवेदन किया गया।	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	श्रीमती सावित्री यादव पत्नी श्री रामनिवास यादव	श्री अशोक कुमार गुप्ता पुत्र श्री पूरनमल गुप्ता	21	248.88	शान्ति नगर गृह निर्माण सहकारी समिति लि.	अशोक विहार	लीजडीड	आवंटन, रसीद, साईट प्लान

उपायुक्त
 पृथ्वीराज नगर (दक्षिण-प्रथम)
 जविप्रा, जयपुर।

जन संपर्क अधिकारी

जविप्रा, जयपुर

यू.ओ.नोट क्रमांक जविप्रा/उपा.पृथ्वीराज नगर दक्षिण-प्रथम/2022/डी- 2958

दिनांक...20/12/2022

सेक्टर-12, मानसरोवर स्कीम, जयपुर-302020

दूरभाष-(+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: {सम्बंधित कार्यालय}; फैक्स- +91-141-2574555

ई-मेल : {सम्बंधित अधिकारी का ईमेल}

E:\arvind\VIGYAPTI\JOINT 2022.docx



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
इन्दिरा सर्किल जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर
प्रारूप 13
(नियम 13(2) देखिए)

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क(8) के अन्तर्गत

संख्या..... 2231

दिनांक..... 22/12/2022

लोक सूचना

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी में यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 31.12.2021 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषिक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद्वारा सूचित किया जाता है, कि आपकी सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण मित्र गू.नि.स.स. की योजना लक्ष्मी विहार-डी के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरितों का कृष्य राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 'क', धारा 91 संपठित धारा 90ए(5) एवं राजस्थान अभिवृत्ति अधिनियम की धारा 63 (II) और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार में पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नहीं आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" धारा 91 संपठित धारा 90ए(5) एवं संपठित राजस्थान अभिवृत्ति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष में पुर्नग्रहित कर लिया जावे।

ग्राम का नाम मय तहसील	खसरा नम्बर	रकबा	स्वामित्व (नवीन जमाबन्दी अनुसार)
ग्राम लालपुरा तहसील जयपुर	1/208	3.3736 है. में से आंशिक भाग पर	1. कमलकिशोर पुत्र दुर्गालाल हिस्सा- 1/20 जाति- ब्राह्मण सा. देह खातेदार 2. कृष्णमोहन पुत्र स्व. भैरुलाल हिस्सा- 1/20 जाति- ब्राह्मण सा. देह खातेदार 3. कान्तादेवी पत्नि महेन्द्र हिस्सा- 1/20 जाति- ब्राह्मण सा. देह खातेदार 4. खण्डैलवाल वैश्य प्रगति संस्थान जयपुर हिस्सा- 17/130 दाता हाउस चांदपोल बाजार बाहर जयपुर खातेदार 5. गोपाल पुत्र कल्ला हिस्सा- 7/104 जाति- बलाई सा. देह खातेदार 6. दयालदेवी शर्मा पत्नि राधेश्याम हिस्सा- 1/20 जाति- ब्राह्मण सा. देह खातेदार 7. विरधा पुत्र कल्ला हिस्सा- 7/104 जाति- बलाई सा. देह खातेदार 8. मुकेशकुमार पुत्र स्व. भैरुलाल हिस्सा- 1/20 जाति- ब्राह्मण सा. देह खातेदार 9. मंजू शर्मा पत्नि कृष्णमोहन हिस्सा- 1/20 जाति- ब्राह्मण सा. देह खातेदार 10. मधु शर्मा पत्नि मुकेश कुमार शर्मा हिस्सा- 1/20 जाति- ब्राह्मण सा. देह खातेदार 11. महेन्द्र पुत्र दुर्गालाल हिस्सा- 1/20 जाति- ब्राह्मण सा. देह खातेदार 12. मीनाक्षीशर्मा पत्नि राजबिहारी हिस्सा- 1/20 जाति- ब्राह्मण सा. देह खातेदार 13. राजबिहारी पुत्र स्व. भैरुलाल हिस्सा- 1/20 जाति- ब्राह्मण सा. देह खातेदार 14. राधेश्याम पुत्र दुर्गालाल हिस्सा- 1/20 जाति- ब्राह्मण सा. देह खातेदार 15. रामू पुत्र कल्ला हिस्सा- 7/104 जाति- बलाई सा. देह खातेदार 16. सुनिता शर्मा पत्नि कमलकिशोर हिस्सा- 1/20 जाति- ब्राह्मण सा. देह खातेदार 17. हनुमान पुत्र कल्ला हिस्सा- 7/104 जाति- बलाई सा. देह खातेदार,

प्रशासन शहरो के संग अभियान के अन्तर्गत नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प17(1)नवि/अभियान/2021/म.म.ज्ञा जयपुर दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 के क्रम में इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि में हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञापित प्रकाशन के 07 दिवस में कमरा नं. पीबी-एसएफ-218डी, पार्किंग भवन, द्वितीय तल, जविप्रा में कार्यालय समय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय में आपत्तियां प्रस्तुत नहीं करने की दशा में आपके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुर्नग्रहित किया जा सकेगा।

नोटिस आज दिनांक 22/12/2022 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।

सा
प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त
जोन-07 जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आम सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन करवाकर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भी अवगत करवाने का श्रम करावे।
2. तहसीलदार, जयपुर जिला जयपुर।

उपायुक्त जोन-7
प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त
जोन-07 जविप्रा, जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

आम सूचना

निम्न आवेदको द्वारा सम्पत्ति के पट्टे /अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.स.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजडीधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड का क्षेत्रफल च.ग.	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी योजना/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके के लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	श्री भुनेश्वर कुमावत पुत्र श्री रामेश्वर लाल कुमावत	श्री भुनेश्वर कुमावत पुत्र श्री रामेश्वर लाल कुमावत	वाईए-42	200.00	दी शिवा को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लि.	6डी इंजीनियर्स कॉलोनी	लीजडीड	आवंटन पत्र, साईट प्लान, रसीद एवं इकरारनामा

उपयुक्त

पृथ्वीराजनगर (दक्षिण-प्रथम),
जविप्रा, जयपुर।

जन संपर्क अधिकारी

जविप्रा, जयपुर

यू.ओ.नोट क्रमांक: जविप्रा/उपा. पृथ्वीराजनगर (दक्षिण-प्रथम) /2022/डी-2864 दिनांक 20/12/2022

सेक्टर-12, मानसरोवर स्कीम, जयपुर-302020

दूरभाष-(+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: (सम्बंधित कार्यालय): फैक्स- +91-141-2574555

ई-मेल : (सम्बंधित अधिकारी का ईमेल)

B:\arvind\VIJYAPTI\JOINT.docx





जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

75
Azadi Ka
Amrit Mahotsav

क्रमांक:- जविप्रा/उपा. पी.आर.एन. (दक्षिण-द्वितीय)/2022/डी- 4715 दिनांक:- 21/12/2022

-:सूचना:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स. / निजी खातेदारी योजना/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	यश गुप्ता	गोवरधन अग्रवाल	28	400.00	मित्र गृ.नि.स.स. लि.	सुमेर नगर विस्तार-ए ब्लॉक	लीजडीड	अपंजीकृत ईकरारनामा, आवंटन पत्र, साईट प्लान, रसीद इत्यादि।
2	नितिन गुप्ता	शशी अग्रवाल	29	400.00	मित्र गृ.नि.स.स. लि.	सुमेर नगर विस्तार-ए ब्लॉक	लीजडीड	आवंटन पत्र, साईट प्लान, रसीद इत्यादि।
3	सुनील शर्मा	नानगराम	105	111.11	मीनावाला गृ.नि. स.स.लि.	श्री धनराज सिटी	लीजडीड	पंजीकृत विक्रय पत्र, आवंटन पत्र, साईट प्लान, रसीद इत्यादि।
4	दिनेश कुमार शर्मा	नानगराम	104	111.11	मीनावाला गृ.नि. स.स.लि.	श्री धनराज सिटी	लीजडीड	पंजीकृत विक्रय पत्र, आवंटन पत्र, साईट प्लान, रसीद इत्यादि।

उपायुक्त
जोन-पीआरएन (दक्षिण-द्वितीय)
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:-

1. उप निदेशक, (जन सम्पर्क), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि, उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन कराने का श्रम करें।
2. को भेजकर सूचित किया जाता है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन हेतु विशेषाधिकारी (जन सम्पर्क), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भिजवा दिया गया है।

उपायुक्त
जोन-पीआरएन (दक्षिण-द्वितीय)
जविप्रा, जयपुर।

सेक्टर-12, मानसरोवर स्कीम, जयपुर-302020

दूरभाष - (+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : {सम्बंधित कार्यालय} : फैक्स - +91-141-2574555

ई-मेल : {सम्बंधित अधिकारी का ईमेल}

N.P.-V.N.



Scanned with OKEN Scanner



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपायुक्त जोन-1/2022/डी- 3525

दिनांक:-23/12/2022

जनसम्पर्क अधिकारी
जविप्रा

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल (वर्ग गज में)	ग.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा की योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	श्री जगन सिंह	श्री यदुवीर सिंह, श्री छत्रपाल, श्री सतेन्द्र	ए-55	216.66 वर्ग गज	जविप्रा	मालवीय नगर	नामहस्तान्तरण	मृत्यु प्रमाण पत्र व शपथ पत्र

उपायुक्त जोन-1
जविप्रा, जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

:-आम सूचना:-

किर्तीनगर को-आपरेटिव हा. सोसायटी लि. जयपुर की योजना श्री राम चन्द्र विहार डी का आवंटन/नियमन शिविर आयोजित कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है, आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत योजना मानचित्र व मौके का पी.टी. सर्वे अनुसार योजना ग्राम-असरपुरा तहसील-सांगानेर जिला-जयपुर के अग्रलिखित खसरा नम्बरों के सम्पूर्ण/आंशिक भाग पर योजना सृजित है।

क्र. स.	ग्राम/तहसील	खसरा नं.	रकबा	सम्पूर्ण/ आंशिक	वर्तमान खातेदार का नाम
1.	ग्राम-असरपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर	135 136 140	0.6500 0.3700 0.8000	सम्पूर्ण/ आंशिक	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
	कुल किता	03	1.82 हैक्टर		

उक्त योजना में स्थित भूखण्डधारियों की सूची निम्नलिखित है-

क.स.	नाम/पिता/पति	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल
1	विनोद कुमार शर्मा पुत्र श्री सत्यनारायण शर्मा	01	116.59
2	विनोद कुमार शर्मा पुत्र श्री सत्यनारायण शर्मा	02	101.73
3	विनोद कुमार शर्मा पुत्र श्री सत्यनारायण शर्मा	03	142.46
4	दिनेश कुमार शर्मा पुत्र श्री मदनलाल शर्मा	03ए	166.00
5	राजेश शर्मा पुत्र श्री मदन लाल शर्मा	04	196.02
6	राजेश शर्मा पुत्र श्री मदन लाल शर्मा	05	133.93
7	राजेश शर्मा पुत्र श्री मदन लाल शर्मा	06	133.38
8	कमलेश शर्मा पुत्र श्री नाथुराम शर्मा	07	132.78
9	कमलेश शर्मा पुत्र श्री नाथुराम शर्मा	08	132.69
10	कमलेश शर्मा पुत्र श्री नाथुराम शर्मा	09	133.23
11	धनश्याम शर्मा पुत्र श्री मूलचन्द शर्मा	10	161.83
12	नेमीचन्द पुत्र श्री पुसाराम	11	161.70
13	रामनारायण शर्मा पुत्र श्री महोदय प्रसाद शर्मा	12	80.88
14	कल्याण सहाय शर्मा पुत्र श्री महादेव प्रसाद शर्मा	12ए	80.55
15	राजीव शर्मा-गोपाल शर्मा पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा	13	161.78
16	ओम प्रकाश शर्मा पुत्र श्री सीताराम शर्मा	14	243.39
17	गंगाराम शर्मा पुत्र श्री नाथुलाल शर्मा	15	106.21
18	बाबुलाल शर्मा पुत्र श्री नाथुलाल शर्मा	16	106.21
19	गोविन्द राम शर्मा पुत्र श्री नाथुलाल शर्मा	17	106.21
20	गणेश नारायण शर्मा पुत्र श्री नाथुलाल शर्मा	18	106.21
21	राजेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री नाथुलाल शर्मा	19	106.21
22	कमलेश शर्मा पुत्र श्री शंकर लाल शर्मा	20	135.04
23	मुकेश शर्मा पुत्र श्री शंकर लाल शर्मा	21	135.04
24	गजानन्द शर्मा पुत्र श्री भूरा राम शर्मा	22	195.67
25	सोहन शर्मा पुत्र श्री कैलाश चन्द्र शर्मा	23	272.42
26	विष्णु कुमार शर्मा पुत्र श्री लल्लूराम शर्मा	24	165.48
27	रामजी लाल शर्मा पुत्र श्री लल्लूराम शर्मा	25	165.20
28	शंकर लाल शर्मा पुत्र श्री भूरा राम शर्मा	26	121.00
29	रामजी लाल शर्मा पुत्र श्री लल्लूराम शर्मा	27	101.56

सेक्टर-12, मानसरोवर स्कीम, जयपुर-302020

दूरभाष-(+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीवीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: (सम्बंधित कार्यालय): फ़ैक्स- +91-141-2574555

ई-मेल : (सम्बंधित अधिकारी का ईमेल)



Scanned with OKEN Scanner



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

30	नाथुलाल शर्मा पुत्र श्री भूराराम शर्मा	28	101.56
31	गजानन्द शर्मा पुत्र श्री भूरा राम शर्मा	29	101.56
32	कैलाश चन्द्र शर्मा पुत्र श्री भूरा राम शर्मा	30	102.05
33	नाथी देवी मीणा पत्नि श्री भगवान सहाय मीणा	31	130.30
34	नाथी देवी मीणा पत्नि श्री भगवान सहाय मीणा	31ए	130.30
35	नाथी देवी मीणा पत्नि श्री भगवान सहाय मीणा	32	130.30
36	राजेश शर्मा पुत्र श्री भगवान सहाय मीणा	33	148.36
37	मन्जु देवी टेलर पत्नि श्री महावीर प्रसाद टेलर	34	111.14
38	कमलेश शर्मा पुत्र श्री राम किशोर शर्मा	35	111.05
39	कमलेश शर्मा पुत्र श्री राम किशोर शर्मा	35ए	111.30
40	हीरा देवी शर्मा पुत्र श्री मदन लाल शर्मा	36	120.89
41	मुकेश शर्मा पुत्र श्री राम नारायण शर्मा	37	161.90
42	मुकेश शर्मा पुत्र श्री राम नारायण शर्मा	38	437.47
43	मुकेश शर्मा पुत्र श्री राम नारायण शर्मा	39	266.66
44	हीरा देवी शर्मा पुत्र श्री मदन लाल शर्मा	40	266.66
45	हीरा देवी शर्मा पुत्र श्री मदन लाल शर्मा	41	266.66
46	हीरा देवी शर्मा पुत्र श्री मदन लाल शर्मा	41ए	266.66
47	बोदु राम शर्मा- चिमन लाल शर्मा पुत्र श्री हरिनारायण शर्मा	42	245.37
48	कृष्ण शर्मा पुत्र श्री हनुमान सहाय शर्मा	43	245.37
49	राजीव शर्मा - गोपाल शर्मा पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा	44	245.37
50	रामनारायण-कल्याण सहाय शर्मा पुत्र श्री महोदय प्रसाद शर्मा	45	246.30
51	मूली देवी शर्मा पत्नि श्री लल्लू राम शर्मा	46	246.30
52	शंकर लाल शर्मा पुत्र श्री भूरा राम शर्मा	47	246.30
53	गजानन्द शर्मा पुत्र श्री भूरा राम शर्मा	48	246.30
54	कैलाश चन्द्र शर्मा पुत्र श्री भूरा राम शर्मा	49	244.44
55	विनोद कुमार शर्मा पुत्र श्री सत्यनारायण शर्मा	50	106.10
56	सीताराम शर्मा पुत्र श्री हरबक्श शर्मा	51	195.50
57	सीताराम शर्मा पुत्र श्री हरबक्श शर्मा	52	147.95
58	श्रवण कुमार शर्मा पुत्र श्री सीताराम शर्मा	53	162.15

अतः योजना क्षेत्र में आने वाले खसरा नम्बर एवं भूखण्डधारियों की सूची से सम्बन्धित, अगर किसी खातेदार/हितधारक/भूखण्डधारी/व्यक्ति/संस्था व अन्य किसी को आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशन पश्चात् 7 (सात) दिवस या कैम्प दिवस (जो भी कम हो) में, कार्यालय पृथ्वीराज नगर (दक्षिण-प्रथम), इन्द्र पथ सेक्टर-12, सामुदायिक केन्द्र, मानसरोवर, जयपुर में अपनी आपत्ति मय दस्तावेजों, गवाह साक्ष्य आदि एवं आपत्ति के समर्थन में स्वयं की पहचान के प्रमाण सहित प्रस्तुत करे अन्यथा स्थिति में उक्त खसराओं में स्थित भूमि में विकसित योजना की उक्त सूची के आधार पर नाम हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन/आवंटन/निमयन की कार्यवाही कर दी जायेगी।

उपायुक्त,
जोन पी.आर.एन. (दक्षिण-प्रथम)
जयपुर।

जन सम्पर्क अधिकारी,
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर।

क्रमांक:-जविप्रा/उपा.पीआरएन(दक्षिण प्रथम)/22/डी-2959
दिनांक:-20/12/2022

सेक्टर-12, मानसरोवर स्कीम, जयपुर-302020

दूरभाष-(+91-141-सम्बन्धित कार्यालय) : ईपीवीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: (सम्बन्धित कार्यालय): फैक्स- +91-141-2574555



Scanned with OKEN Scanner



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक/ज.वि.प्रा./उपा./जोन-4/2022/डी-2117

दिनांक 22/12/2022

विज्ञापित/सूचना

निम्नांकित आवेदकों द्वारा दस्तावेजात् प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण/लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञापित प्रकाशित की दिनांक से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा समय सीमा पश्चात् आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण/लीजडीड जारी की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटि का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	एच-4	हथरोई गढी गृ.नि.स.स. की योजना सरस्वती नगर-एच	श्रीमती पदमा देवी पत्नी स्व. श्री मालीराम वर्मा	श्री मालीराम वर्मा	मृत्यु प्रमाण-पत्र, शपथ-पत्र
2.	एच-5	हथरोई गढी गृ. नि.स.स. की योजना सरस्वती नगर-एच	श्री सुभाष चन्द सैन पुत्र श्री धन्ना लाल सैन	श्री श्याम लाल, सुभाष चन्द सैन श्री धन्ना लाल सैन	अनरजिस्टर्ड सहमति पत्र, शपथ-पत्र
3.	एच-5-ए	हथरोई गढी गृ. नि.स.स. की योजना सरस्वती नगर-एच	श्रीमती कमला सैन पत्नी स्व. श्री श्याम लाल सैन	श्री श्याम लाल, सुभाष चन्द सैन पुत्र श्री धन्ना लाल सैन	मृत्यु प्रमाण-पत्र, अनरजिस्टर्ड सहमति पत्र
4.	एच-6	हथरोई गढी गृ. नि.स.स. की योजना सरस्वती नगर-एच	श्रीमती सविता कंवर पत्नी श्री धीसू सिंह	श्रीमती गिता देवी पत्नी श्री रामदीकरण शर्मा	अनरजिस्टर्ड इकरारनामा पत्र
5.	एच-7	हथरोई गढी गृ. नि.स.स. की योजना सरस्वती नगर-एच	छीतरमल जाट पुत्र श्री सुरजाराम जाट	रूपचन्द जाटव पुत्र श्री पातरिया जाटव	अनरजिस्टर्ड इकरारनामा पत्र
6.	एच-7-ए	हथरोई गढी गृ. नि.स.स. की योजना सरस्वती नगर-एच	श्रीमती कृष्णा देवी एवं श्रीमती ललिता देवी	रूपचन्द जाटव पुत्र श्री पातरिया जाटव	अनरजिस्टर्ड इकरारनामा पत्र

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - 0141-2574798 : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : 8240: ई-मेल : dc.zone04@jaipurjda.org



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

११/१

उपायुक्त जोन-4
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:-

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।
2. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त विज्ञप्ति को जविप्रा की वेबसाईड पर अपलोड करने का श्रम करें।

११/१

उपायुक्त जोन-4
जविप्रा जयपुर।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

ट्रफ़फ़ - 0141-2574798 : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : 8240: ई-मेल :dc.zone04@jaipurjda.org



Scanned with OKEN Scanner



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक / ज.वि.प्रा. / उपा. / जोन-4 / 2022 / डी-2998

दिनांक 22/11/2022

विज्ञप्ति / सूचना

निम्नांकित आवेदकों द्वारा दस्तावेजात् प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण/लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशित की दिनांक से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा समय सीमा पश्चात् आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण/लीजडीड जारी की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटन का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	11	राज नगर-ए	श्री नरेन्द्र शर्मा पुत्र श्री राधेश्याम शर्मा	श्री घनश्याम भाई पुत्र श्री प्रागजी भाई	आवंटन पत्र दिनांक 06.01.1993 मुख्त्यार नामा आम दिनांक 13.05.2003 रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 16.09.2002 आदि।
2	10	राज नगर-ए	श्रीमती सुनीता शर्मा पत्नी श्री यागवेन्द्र शर्मा, श्री यागवेन्द्र शर्मा पुत्र श्री श्याम लाल शर्मा	श्री रघुवीर सिंह शेखावत पुत्र श्री गोकुल सिंह	सोसायटी से जारी आवंटन पत्र दिनांक 15.05.1995 विक्रय पत्र दिनांक 28.02.2020 अपंजीकृत वसीयतनामा, मुख्त्यारनामा आम, इकरारनामा एवं हकत्याग पत्र आदि।
3	8	राज नगर-ए	श्री हरीश केवलानी पुत्र श्री मोहन लाल केवलानी	श्री मोहन लाल केवलानी पुत्र श्री घनश्याम दास	सोसायटी से जारी साईट आवंटन पत्र दिनांक 26.01.1996 धर्मा देवी की मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 02.12.2019 मोहन लाल केवलानी की मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 01.05.2021 हकत्याग पत्र आदि।
4	2	राज नगर-ए	श्री संजय जोशी पुत्र श्री राधेश्याम जोशी	श्री तुलसी भाई पुत्र श्री सुखा भाई	सोसायटी से जारी साईट प्लान आवंटन पत्र दिनांक 05.01.1993 इकरारनामा आदि।

21.7
उपायुक्त जोन-4
जविप्रा, जयपुर।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - 0141-2574798 : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : 8240: ई-मेल : dc.zone04@jaipurjda.org

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

प्रतिलिपि:-

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जयपुरा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जयपुरा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।
2. सिस्टम एनालिस्ट, जयपुरा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त विज्ञापित को जयपुरा की वेबसाईड पर अपलोड करने का श्रम करें।

उपायुक्त जोन-4
जयपुरा जयपुर।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष - 0141-2574798 : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : 8240: ई-मेल :dc.zone04@jaipurjda.org



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक/ज.वि.प्रा./उपा./ जोन-4/2022/डी-3007

दिनांक 23-12-2022

विज्ञप्ति/ सूचना

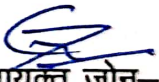
आवेदिका द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण भूखण्ड पट्टा जारी करने हेतु आवेदन किया गया है। इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/ हितकारी की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दे, अन्यथा समय सीमा पश्चात आवेदिका के पक्ष में पट्टे की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	समिति एवं योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटि का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	44	जविप्रा की योजना मनोहरपुरा ई. डब्ल्यू.एस. क्वार्टर	श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री नाथू सिंह	श्री रमेश भाट पुत्र श्री नाथु भाट	जविप्रा द्वारा जारी आवंटन पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, अपंजीकृत वसीयतनामा के आधार पर


उपायुक्त जोन-4
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:-

- जन सम्पर्क, अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करवाते हुये प्रकाशन की एक प्रति अद्योहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध करवाने का श्रम करावे।


उपायुक्त जोन-4
जविप्रा, जयपुर।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - 0141-2574798 : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : 8240: ई-मेल : dc.zone04@jaipurjda.org

Com-3/D-Letter



Scanned with OKEN Scanner

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रारूप-13

(नियम 13(2) देखिए)

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 90-क(8) के अन्तर्गत

क्रमांक-जविप्रा/उपा./जोन-13/2022/डी-5781

दिनांक-23/12/22

प्रशासन शहरो के संग अभियान-2021 के अन्तर्गत

लोक सूचना

अधोहस्ताक्षरकर्ता की जानकारी में यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 17 जून 1999 से पूर्व की काल अवधि से गैर-कृषिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जा रहा है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान्/हितधारी व्यक्तियों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि आपकी सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा/सहमति पत्र भूमि हस्तान्तरित होने के कारण अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृष्य राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार अधिनियम की धारा 90-क(8) एवं राजस्थान अभिवृत्ति अधिनियम की धारा 63 (11) और तद्धीन बनावे गये नियमों के उपबंधों के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार में सुओमोटो पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः यहाँ नहीं आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क (8) एवं राजस्थान अभिवृत्ति अधिनियम की धारा 63 (11) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष में पुनर्ग्रहित कर लिया जावे।

ग्राम व तहसील का नाम	सहकारी समिति/विकास समिति का नाम	खसरा नम्बर	रकबा हेक्टेयर	स्वामित्व
बस्ती/बस्ती	लक्ष्मी कॉलोनी	1499	0.4100	1. कजोड पुत्र नानगा हिस्सा- 1/2 जाति- कुम्हार सा. देह खातेदार 2. छोटया पुत्र रेवड हिस्सा- 1/10 जाति- कुम्हार सा. देह खातेदार 3. पप्पू पुत्र रेवड हिस्सा- 1/10 जाति- कुम्हार सा. देह खातेदार 4. भोल्या पुत्र रेवड हिस्सा- 1/10 जाति- कुम्हार सा. देह खातेदार 5. मूलीदेवी पत्नि स्व. रेवड हिस्सा- 1/10 जाति- कुम्हार सा. देह खातेदार 6. रामजीलाल पुत्र रेवड हिस्सा- 1/10 जाति- कुम्हार सा. देह खातेदार,
		1500	0.0100	1. गूजरमल पुत्र हीरालाल हिस्सा- 1/2 जाति- महाजन जैन सा. देह खातेदार 2. बिरदीचन्द पुत्र मोतीलाल हिस्सा- 1/2 जाति- महाजन जैन सा. देह खातेदार,
		1501	0.5700	1. दिनेश पुत्र बैसीधर हिस्सा- 1/2 जाति- महाजन सा. देह खातेदार 2. राजेन्द्र पुत्र बैसीधर हिस्सा- 1/2 जाति- महाजन सा. देह खातेदार,
		1502	0.2900	1. कल्याणमल पुत्र छगनलाल हिस्सा- 1/2 जाति- महाजन सा. देह खातेदार
		1504	0.5300	2. दिनेश पुत्र बैसीधर हिस्सा- 1/4 जाति- महाजन सा. देह खातेदार 3. राजेन्द्र पुत्र बैसीधर हिस्सा- 1/4 जाति- महाजन सा. देह खातेदार,
		1503	0.5600	शान्तीदेवी पत्नि कल्याण दत्तक पुत्र गूजरमल हिस्सा- पूर्ण जाति- महाजन सा. देह खातेदार,
		1505	0.0100	1. कानूराम पुत्र गंगासहाय हिस्सा- 1/3 जाति- ब्राह्मण सा. पालाबाला खातेदार
		1506	0.7400	2. राधेश्याम पुत्र गंगासहाय हिस्सा- 1/3 जाति- ब्राह्मण सा. पालाबाला खातेदार 3. मत्वनारायण पुत्र गंगासहाय हिस्सा- 1/3 जाति- ब्राह्मण सा. पालाबाला खातेदार,
		1507	0.0300	प्रेमनारायण पुत्र शिवलहरी हिस्सा पूर्ण जाति-राठिया सा. राजगढ़ जिला अलवर
		1509	0.1600	गोपी पुत्र मंगला हिस्सा- पूर्ण जाति- कुम्हार सा. देह खातेदार,
		1510	0.2500	
		1511	0.0300	
		1512	0.8300	

नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प. 17(1)नवि/अभियान/2021/म.म.॥ जयपुर दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 में उल्लेखित कृषि भूमि पर 17.09.1999 से पूर्व की कॉलोनियों में स्वप्रेरणा से अथवा स्थानीय निकाय द्वारा संदर्भित करने पर धारा 90-क(8) की कार्यवाही करने का अधिकार होने से इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि हित रखने वाले खातेदार/वारिसान्/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञापित प्रकाशन के 7 दिवस में कमरा नं पी. बी. टी.एफ-307 पार्किंग भवन, तृतीय मंजिल, जयपुर स्थित न्यायालय में कार्यालय समय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय में आपत्तियाँ प्रस्तुत नहीं करने की दशा में आपके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुनर्ग्रहित किया जा सकेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन दिनांक 23/12/22 को जारी की जाती है।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13.
जयपुर, जयपुर।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांक : जविप्रा/जोन-06/समा./डी- 4303

दिनांक, 23/12/2022

जन सम्पर्क अधिकारी,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

विषय :- निजी खातेवासी की योजना शंकर नगर-ए की सदस्य सूची के प्रकाशन करवाये जाने बाबत।

महोदय,

समस्त विषयान्तर्गत हेतु है कि निजी खातेवासी की योजना शंकर नगर-ए की नियमन हेतु की सदस्यता सूची का प्रकाशन करवाकर प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करवाने का श्रम करवावे।

संलग्न : सदस्यता सूची।

उपायुक्त जोन-06,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
जविप्रा, जयपुर

शंकर नगर ए विकास समिति

सचिव :
महेन्द्रसिंह शेखावत
मो. : 9928152756

47-ए, शंकर नगर-ए, पिकसिटी हॉस्पिटल के पास, मुरलीपुरा, जयपुर-39

दिनांक 18/08/2022

सेवामें,

उपायुक्त महोदय,

जोन नं.-06.

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

विषय:- प्रशासन शहरों के संग अभियान अंतर्गत शंकर नगर-ए, वार्ड नं. 17, मुरलीपुरा में निजी खातेदारी अंतर्गत भूखण्डों/प्लॉटों के नियमन हेतु कैम्प आयोजित करने हेतु सदस्यों/भूखण्डधारियों की सूची भिजवाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- श्रीमानजी के कार्यालय का पत्रांक जविप्रा/उपा/जोन-6/21/डी-2 दि. 3.1.2022 एवं इस विकास समिति का पत्र दिनांक 13.04.2022 एवं 25.7.2022 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि शंकर नगर-ए, वार्ड नं. 17, मुरलीपुरा में स्थित संबंधित खसरा नं. (78/3, 79/1) में सोसाइटी के माध्यम से विक्रित भूखण्ड/प्लॉटों का वर्ष 2013-14 में पूर्व में नियमन हो चुका है तथा उसी खसरे के कुछ हिस्से में निजी खातेदारी अंतर्गत कय किये गये जिन सदस्यों/भूखण्डधारियों के भूखण्डों/प्लॉटों का नियमन किया जाना शेष है, उन सदस्यों/भूखण्डधारियों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	नाम	भूखण्ड का क्षेत्रफल	ले आउट अनुसार भूखण्ड/प्लॉट संख्या
1	सुमित्रा सैनी W/o स्व. नरेन्द्र कुमार सैनी	270.66 वर्ग गज	66
2	गीता देवी W/o स्व. भोपाल राम सैनी	295.00 वर्ग गज	67
3	सुनील कुमार सैनी S/o स्व. भोपाल राम सैनी	295.00 वर्ग गज	67-ए
4	धनश्याम सैनी S/o स्व. कन्हैयालाल सैनी	346.00 वर्ग गज	68
5	स्व. कान्ता देवी W/o स्व. किशनलाल शर्मा	248.00 वर्ग गज	69
6	संगीता सैनी W/o सुमेरु चन्द सैनी	34.22 वर्ग गज	69-ए
7	विजेन्द्र गोयल S/o नेतराम गोयल	246.66 वर्ग गज	70
8	विजेन्द्र गोयल S/o नेतराम गोयल	222.22 वर्ग गज	70-ए
9	ओम प्रकाश कुमावत S/o मूलचंद कुमावत	231.11 वर्ग गज	71
10	शंकरलाल कुमावत S/o मूलचंद कुमावत	231.11 वर्ग गज	72
11	नरेन्द्र खण्डेलवाल S/o स्व. गोविन्दनारायण कूलवाल	1159.00 वर्ग गज	73

अतः इस सम्बन्ध में हार्दिक निवेदन है कि संबंधित क्षेत्र का लेआउट प्लान स्वीकृत कर शंकर नगर-ए, वार्ड नं. 17, मुरलीपुरा में आवेदनकर्ताओं के आवेदनानुसार भूखण्डों/प्लॉटों के नियमन हेतु कैम्प लगाये जाने का श्रम करें।

शंकर नगर विकास समिति
रोड नं. 1, जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

प्रारूप-13

(नियम 13(2) देखिए)

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क(8) के अन्तर्गत

क्रमांक 2997

दिनांक 22/12/22

लोक सूचना

अद्योहस्ताक्षरी को जानकारी में यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 17 जून 1999 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि आपकी सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जारी विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तान्तरित होने के कारण योजना के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चात्तवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90क(5) के विपरीत होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 क धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं राजस्थान अभिवृत्ति अधिनियम की धारा 63(II) और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार के पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नहीं आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं सपठित राजस्थान अभिवृत्ति अधिनियम की धारा 63(II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए पर्यावसित कर जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के पक्ष में पुर्नग्रहित कर लिया जावे :-

क्र. सं.	सहकारी समिति का नाम	योजना	ग्राम /तहसील	खसरा	रकबा हैक्ट	स्वामित्व
1	जवाहरपुरी गृ.नि.स.स.	श्याम कॉलोनी	ग्राम सुरजपुराघाटी, तहसील-सांगानेर	4	0.30	कैलाश पुत्र कल्याण हिस्सा 1/12,
				5	0.43	कालू पुत्र कल्याण हिस्सा 1/12,
				6	0.40	गणेश पुत्र भवरिया हिस्सा 1/8,
				7	0.24	महोन पुत्र जगन्नाथ हिस्सा 1/4,
				19	0.02	रूपा पुत्र जगन्नाथ हिस्सा 1/4,
				20	0.01	लक्ष्मीनारायण पुत्र कल्याण हिस्सा
				22	0.25	1/12
				23	0.07	
				24	0.28	

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - 0141-2574798 : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : 8240: ई-मेल : dc.zone04@jaipurjda.org



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

			25	0.02	श्रवण पुत्र भवरिया हिस्सा 1/8, जाति मीणा, निवासी सुरजपुराघाटी, तहसील सांगानेर।
			26	0.01	
			27	0.04	
			28	0.10	

प्रशासन शहरों के संग अभियान के अन्तर्गत नगरीय विकास विभाग आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प.17(1)निविदि/अभियान/2021/मु.मु. ज्ञा जयपुर दिनांक 28.02.2021 के बिन्दु संख्या के कम में इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि में हित रखने वाले खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञप्ति के प्रकाशन के 7 दिवस में कमरा नंबर पी.बी. एस.एफ 209 पार्किंग भवन द्वितीय तल जविप्रा स्थित न्यायालय के कार्यालय समय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत समय में आपत्तियां प्रस्तुत नहीं करने की दशा में आपके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पूर्णग्रहित किया जा सकेगा।

नोटिस आज दिनांक 22.12.2022 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर से जारी किया गया है।

21/2
प्राधिकृत अधिकारी जे-04
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - 0141-2574798 : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : 8240: ई-मेल : dc.zone04@jaipurjda.org